DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

* THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JANUARY 14, 2023
S----------DATED----------

Traders protest against sealing in Sadar Bazar

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Unhappy with 16 shops being sealed in Sadar Bazar area on the direction of the monitoring committee for alleged misuse of properties, traders carried out a protest march from Qutab Chowk to Pul Mithai area on Friday.

Former mayor in north corporation and councillor Jai Prakash also participated in the protest. The traders' association said it will meet the MCD's special officer and commissioner next week and, if relief is not provided, will go for a bandh.

MCD officials said the sealing was done to comply with the pending directions of the monitoring committee.

"There were 16 properties on the non-notified Jatwara and Shivaji roads which have been sealed. The action has been taken against commercial activity on residential roads," MCD said.

Sources said notices against more properties were issued by the committee and MCD might act against them too.

Rakesh Yadav, president, Federation of Sadar Bazar RWAs, said when the entire area has been commercialised, taking action against shops is unjustified.

"In 2004, when a major sealing drive was carried out, we gave a presentation to the DDA vice-chairman stating that the market belonged to the Mughal era and was not established by any agency. I also gave reference to a clause in the Master Plan 2021 that stated that if 70% of the place is commercialised, it is considered to be a 'commercial area'," said Yadav.

"But DDA decided to conduct a survey through MCD and it was found 95% of the area is commercialised. Thereafter, no action was taken. But three or four years ago, questions were raised over the nature of properties on Jogiwara Road. On Thursday, traders were served notices signed in April 2022 by the former deputy commissioner (Rajesh Goel) of Sadar Paharganj zone. That means the matter is old and MCD is now trying to harass the traders," Yadav said, adding that they had raised the matter with newly-elected mayor Usha Sharma too.

Federation chairman Pramajit Singh Pamma said traders have announced they will protest every alternate day if the authority fails to address the issue and de-seal the shops.

Prakash said the matter was discussed with the commissioner and deputy commissioner. "I requested the commissioner that conversion charges be collected and commercial activities be allowed. No residential property is left on those roads and they have been used for commercial purposes for decades now," he said, adding traders are ready to pay conversion charges.

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 14 जनवरी 2023

दिनदहाड़े ताबड़तोड़ चाकू से गोदकर नाबालिग का मर्डर

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

ईस्ट दिल्ली के मधु विहार में हुई वारदात

ईस्ट दिल्ली के मधु विहार इलाके में दबदबे को लेकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर 17 साल के नाबालिग का मर्डर कर दिया गया। एक दर्जन से ज्यादा वार करने के बाद तीन बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए एलबी शास्त्री अस्पताल भिजवा दिया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। ड्रग्स के कारोबार में वर्चस्व को लेकर हत्याकांड को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, 17 साल का नाबालिग परिवार के साथ पटपड़गंज स्थित जोशी कॉलोनी में रहता था। फैमिली में मां, एक भाई और तीन बड़ी बहनें हैं। दस साल पहले पिता की मौत हो गई थी। शुक्रवार दोपहर को नाबालिग इलाके में घूम रहा था। वो मधु विहार स्थित डीडीए ग्राउंड पहुंचा तो वहां पड़ोस में रहने वाले तीन नाबालिग मिल गए। इनकी आपस में ड्रग्स की तस्करी को लेकर रंजिश चल रही थी। इसलिए कहासुनी हो गई। एक आरोपी ने चाकू निकाल कर कई वार कर दिए।

चश्मदीदों का दावा है कि नाबालिग पर तब तक ताबड़तोड़ चाकू से वार करते रहे, जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। इसके बाद तीनों आराम से वहां से चले गए। मृतक की मां का कहना है कि उनका बेटा गांजा बेचता था, जब ये बात उन्हें पता चली तो बेटे की पिटाई की और उसने गांजा बेचना छोड़ दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- हिन्दुस्तान -DATED- नई दिल्ली रविवार 15 जनवरी 2023

झुग्गियों को लेकर आप का प्रदर्शन

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश जारी करने के खिलाफ शनिवार को भाजपा मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आप का कहना है कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले झुग्गीवालों से 'जहां झुग्गी वहीं मकान' का वादा किया था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद झुग्गियों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। प्रदर्शन में एलजी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की गई। >ब्योरा P05

दुकानों और झुग्गियों को नोटिस पर घमासान

दुकानों की सीलिंग और झुग्गियों को हटाने के नोटिस पर दिल्ली की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। सदर में बाजार में एमसीडी ने 40 से अधिक दुकानों को आवासीय क्षेत्र में होने का नोटिस भेजा है। इससे व्यापारियों में रोष बढ़ गया है। उधर, महरौली-तुगलकाबाद में झुग्गियों को हटाने के नोटिस पर भी विवाद गहरा गया है। आप ने इस मुद्दे पर शनिवार को प्रदर्शन करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। वहीं, भाजपा का कहना है कि डीडीए ने एक भी झुग्गी नहीं गिराई है। उल्टा, आप सरकार ने धौला कुआं के झुग्गी निवासियों को नोटिस भेजा था।

सदर बाजार में फिर बढ़ सकता है सीलिंग संकट

विवाद

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के प्रमुख बाजारों में शामिल सदर में फिर से सीलिंग अभियान चल सकता है। एमसीडी ने 40 से अधिक दुकानों को भी आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां करने का नोटिस दे रखा है, जिनके मामले में एमसीडी में सुनवाई भी चल रही है।

उधर, सीलिंग के विरोध में दूसरे दिन शनिवार को भी सदर बाजार के मिठाई पुल पर व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। इस बीच अन्य व्यापारिक संगठन भी सीलिंग की कार्रवाई के विरोध में उतर गए हैं। उन्होंने सोमवार को होने वाले निगम भवन के घरने में शामिल होने का ऐलान किया है।

सदर बाजार के शिवाजी रोड और जटवाड़ा मार्केट में गुरुवार को करीब 15 इमारतों में संचालित दुकानों को सील किया गया था। ये सभी वो दुकाने हैं, जिनके खिलाफ अप्रैल 2022 में सीलिंग का ऑर्डर पास हो चुका था। अब 40 से अधिक दुकानों को सीलिंग का नोटिस दिया जा चुका है, जिनके मामले में सुनवाई हो रही है।

उपराज्यपाल से सील खुलवाने की मांग

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) खुलकर सदर बाजार के व्यापारियों के समर्थन में आ गई है। सीटीआई के चेयरमैन वृजेश गोयल का कहना है कि सदर बाजार में हुई सीलिंग से राजधानी के अन्य व्यापारी भी दहशत में हैं। अन्य बाजारों के व्यापारियों को सीलिंग की धमकी मिल रही हैं। एमसीडी में अभी कोई सरकार नहीं है। एमसीडी का नियंत्रण उपराज्यपाल (एलजी) के पास है।

'सदर व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किया जाए'

सीटीआई का कहना है कि अभी बाजार की कुछ गलियां रिहायशी हैं, लेकिन उनमें 95 फीसदी से अधिक में व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। मास्टर प्लान 2021 में एक बिंदु (क्लॉज) है, जो कहता है कि ऐसे क्षेत्र जिनमें 70 फीसदी से ज्यादा व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं तो उसे व्यावसायिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाए।

बड़े आंदोलन की तैयारी

व्यापारी इस मामले को लेकर खुलकर आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वहीं, कुछ व्यापारी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह का कहना है कि अब कोर्ट में एमसीडी अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करेंगे। क्योंकि ऑर्डर बीते वर्ष अप्रैल में पारित हुआ और कार्रवाई अब हो रही है। यह मामला भी रखेंगे कि जिस व्यक्ति की शिकायत को आधार बनाकर यह कार्रवाई की गई है वो एमसीडी दफ्तर में अफसरों के साथ बैठकर क्या करता है? पूरा मामला अधिकारियों और दलालों के बीच साठगांठ का है, जिसमें विस्तार से जांच होनी चाहिए।

झुग्गी वालों को नोटिस देने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन किया। • सोनू मेहता

भाजपा का वादा झूठा निकला : आप

- आप ने भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया
- कहा-जहां झुग्गी वहीं मकान नारा झूठा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। आप ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश जारी करने के खिलाफ शनिवार को भाजपा कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि भाजपा ने दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले झुग्गीवालों से 'जहां झुग्गी वहीं मकान' का वादा किया था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद झुग्गियों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है।

कालकाजी से आप विधायक आतिशी के नेतृत्व में पार्टी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा नेता दिल्ली की झुग्गियों में गए और उन्होंने वहां कहा कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। निगम चुनाव खत्म हुए एक महीना भी नहीं बीता और भाजपा के झूठ का पर्दाफाश हो गया। भाजपा शासित डीडीए ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की झुग्गियों पर नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं।

यह है मामला : सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए डीडीए की योजना के तहत 376 झुग्गी वासियों का पुनर्वास का काम होना है। कालकाजी विस्तार परियोजना के तहत, तीन झुग्गी-बस्तियों, भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप का पुनर्वास हो रहा है। इन झुग्गीवासियों के लिए डीडीए की ओर से नरेला में पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत उन्हें वहां कैंपों में रखा जाएगा।

झुग्गीवासी बोले, नरेला नहीं जाएंगे

मामले में झुग्गीवासियों का कहना है कि ऐसी ठंड में वह अपना घर छोड़कर नरेला में नहीं जाना चाहते हैं। नरेला में जहां रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।

डीडीए ने एक साल में नहीं गिराई कोई झुग्गी : भाजपा

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि डीडीए ने पिछले एक साल में एक भी झुग्गी नहीं गिराई है। डीडीए ने सार्वजनिक भूमि पर झुग्गियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है, जबकि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने पिछले हफ्ते धौलाकुआं के झुग्गी निवासियों को झुग्गी तोड़ने का नोटिस जारी किया था और भाजपा द्वारा मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने के बाद उन्हें नोटिस वापस लेना पड़ा।

जेएनयू में मनाई संक्रांति : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया। जेएनयू में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने देश के हर कोने से वहां पढ़ने आए छात्रों तक पहुंच कर उन्हें मकर संक्रांति पर्व का अर्थ समझाया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----------

नई दिल्ली
रविवार
15 जनवरी 2023

हिन्दुस्तान

डीडीए ने सरकार को दी जमीन पर नहीं बने स्कूल

लापरवाही

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता । राजधानी में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव का दावा करने वाली दिल्ली सरकार को वर्ष 2015 के बाद डीडीए ने 13 ज़मीन स्कूल खोलने के लिए दी है। लेकिन इनमें से एक भी जगह दिल्ली सरकार द्वारा स्कूल नहीं खोला गया है।

यह मुद्दा शुक्रवार को हुई बैठक में भी उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया है। उपराज्यपाल सचिवालय सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नये स्कूल बनाने के लिए डीडीए से ज़मीन माँगी थी। अलग-अलग चरणों में डीडीए द्वारा वर्ष 2015 के बाद उन्हें 13 जगहों पर ज़मीन उपलब्ध करवाई गई है। यह जगह नरेला, रोहिणी, शालीमार बाग, वसंत कुंज आदि जगहों पर हैं। इन जगहों में एक भी जगह अभी तक सरकार ने स्कूल नहीं खोला है। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर अभी तक स्कूल नहीं बने हैं।

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 15 जनवरी 2023

झुग्गियां तोड़ने के नोटिस पर BJP ऑफिस पर AAP ने किया प्रदर्शन

विस, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी ने शनिवार को बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली डिवेलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) की ओर से झुग्गियों को हटाने का नोटिस जारी करने के खिलाफ आप ने विरोध जताया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में झुग्गीवालों से 'जहां झुग्गी वहीं मकान' का वादा किया था। चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली की सभी झुग्गियों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली की झुग्गियों को किसी कीमत पर टूटने नहीं देंगें।

प्रदर्शन आप विधायक आतिशी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एलजी और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर चलाने के नोटिस वापस लेने की मांग की है। आप का कहना है कि अगर बीजेपी नोटिस वापस नहीं लेती है तो आप के कार्यकर्ता और दिल्ली के सभी झुग्गीवासी सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के झुग्गीवासियों से झूठा वादा किया। चुनाव से पहले बीजेपी के नेता दिल्ली की अलग-अलग झुग्गियों में गए और उन्होंने वहां कहा कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे।

डीडीए ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने के नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं: आतिशी

पुलिस ने वॉटर कैनन का किया इस्तेमाल

एमसीडी चुनाव खत्म हुए एक महीना भी नहीं हुआ और इन झुग्गियों को हटाने का नोटिस आ गया। उन्होंने कहा कि डीडीए ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों की झुग्गियों पर नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कालकाजी के नवजीवन कैंप पर नोटिस लगा दिया है। गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, छतरपुर आदि में नोटिस लगा दिया है। वजीरपुर विधानसभा में जहां पर बड़ी-बड़ी झुग्गियां हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने झुग्गीवालों के लिए शौचालय बनवाए थे। कुछ दिन पहले उन शौचालयों पर बुलडोजर चला दिया गया।

DDA ने झुग्गियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई: BJP

प्रस, नई दिल्ली: झुग्गियां हटाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग जारी है। आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी ने झुग्गियां तोड़ने का नोटिस जारी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आप विधायक 6 महीने से निराधार चीजों को मुद्दा बना रहे है। झुग्गियां हटाने को लेकर लगाए गए आरोप गलत हैं। पिछले एक साल में डीडीए ने झुग्गियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की है। किसी भी इलाके में डीडीए ने झुग्गियां तोड़ने के लिए नोटिस तक जारी नहीं किया है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार में पिछले 8 साल में जो गड़बड़ियां हुई हैं, रोजाना उसके खुलासे हो रहे हैं। जिससे आप नेता हताश हैं और जनता में अपनी छवि को बचाने के लिए किसी भी बात को मुद्दा बना रहे हैं। कपूर ने कहा कि धौला कुआं के पास झुग्गियों के लोगों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था। बीजेपी ने इसका विरोध भी किया था।

कहा, सरकार की गड़बड़ियां छिपाने के लिए प्रदर्शन कर रही आप

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI ------DATED----------
JANUARY 15, 2023

New habitat in heart of city becomes haven for birds

Kushagra.Dixit
@timesgroup.com

Photos: Sanjeev Rastogi

A habitat on the Yamuna floodplain, Asita East, has emerged as the city's latest birding hotspot. Unveiled in September, the project is being developed by DDA on 98 hectares right after Yamuna Bridge on Vikas Marg

New Delhi: This birding season, winged creatures have a new address.

Asita East, a new habitat restored on the Yamuna floodplain, has emerged as the latest hotspot for birders. Most of the wetlands in the city are in desperate need of restoration and have been given a miss this time by large flocks of birds.

Unveiled in September last year, the project is being developed by DDA on 98 hectares right after Yamuna Bridge on Vikas Marg. More than 72 bird species have been spotted — the highest count so far at any site in Delhi since the last birding season.

According to ecologists from Bombay Natural History Society (BNHS), who assessed the species density on Thursday, the species include migratory waterfowls, grassbirds, songbirds and native.

"We recorded 72 species at the site during our bird walk. These included birds of the wetland and grassl and as well as wooded areas. There were coots, shovelers, redshanks, greenshanks and others. This is a very good outcome for Delhi," said Sohail Madan, assistant director, BNHS.

According to another census held in January at various birding hotspots of Delhi, only 27 species of birds were spotted on the stretch along the Yamuna while 13 species were seen at the wetlands of Delhi Zoo.

Experts pointed out that the habitat at Asita East could be developed as a model for Yamuna floodplain restoration as it gives enough space for birds and human interface. Developed after removing encroachments from a degraded patch of floodplain, the area is now being further developed by the Uttar Pradesh irrigation department on an additional 107 hectares.

AN OFFICIAL SAYS

We recorded 72 species at the site during the walk. These included birds of the wetland and grassland as well as wooded areas

"The best part of Asita is its perfect orientation for viewing the landscape, accessibility to the heart of the city and great representation of the Yamuna floodplains. This will make for an impeccable introduction to wetland habitat, grassland ecosystem and multi-tiered forest plantations for the public at large. There is enough space for human interface and most of the site is left undisturbed. With addition of some important species, nature interpretation facilities and regular and systematic monitoring, this could be a model for restoration work to be carried out along the whole riverfront," added Madan.

Some of the species recorded at the site include garganey ducks, northern shoveler, gadwall, northern pintail, green-winged teal, red-crested pochard, tufted ducks, little grebe, Eurasian collared dove and green sandpipers, among others.

"We started developing the area in 2017 and it was inaugurated in September 2022. Since then, development work has been going on, although we have kept the area strictly minimalist with only the required amenities. There are more migratory birds now since the wetland is restored," said a DDA official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
JANUARY 15, 2023
SPAPERS

AAP protests over slum demolition notices to residents

TIMES NEWS NETWORK

TOI

TAKING A STAND

New Delhi: Alleging that BJP had gone back on its electoral promise of in situ development of slums under 'Jahan Jhuggi Wahan Makaan' scheme and started giving eviction notices to jhuggi-jhopri cluster residents through Delhi Development Authority, Aam Aadmi Party held a protest near the saffron party's headquarters on Saturday.

Carrying placards and shouting slogans, the AAP workers tried to gherao the BJP headquarters at Deen Dayal Upadhyay Marg when the police used water cannons on them. The AAP workers alleged that the police used force and detained a few of them, including young girls.

The police, however, said the AAP workers didn't have the permission to protest. "The protesters were getting agitated so our team had to use water cannons to control them. A few policemen were also injured," a senior Delhi Police officer said.

He confirmed that cops detained 4-5 protesters who were later released. "We will register a case and take action against those who were involved in creating ruckus," he added.

Leading the protest, AAP leader and Kalkaji MLA Atishi alleged that demolition notices had been put up in slums in different parts of the city.

"Before the MCD elections, BJP leaders campaigned all over Delhi telling the slum dwellers that they would be provided a pucca house at the same location under the scheme. Not even a month has passed and the BJP-led DDA has started to put out notices at different jhuggi clusters, including Navjeevan Camp and Nehru Camp in Kalkaji and Ghosia Colony in Mehrauli, threatening to run bulldozers over the houses," Atishi alleged.

"If BJP does not withdraw this notice, AAP workers and all slum dwellers of Delhi will continue this agitation," she added.

The Kalkaji MLA alleged that BJP got toilets constructed by Delhi government in Wazirpur assembly constituency for slum dwellers demolished about 10 days ago. "Until every person living in a slum in Delhi does not have a pucca house to live in, we will not let a single jhuggi be demolished," Atishi said.

Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor, however, claimed that the AAP leaders were misleading the people of Delhi.

"The allegations are totally false and DDA has not demolished even a single jhuggi in the last one year. DDA has not issued any notice to jhuggis on public land. It is actually the Delhi government's public works department, which issued notice to jhuggi dwellers of Dhaula Kuan settled there for over 40 years but had to withdraw after BJP raised the issue," Kapoor alleged.

"Our MP Ramesh Bidhuri and local councillor Chandramohan have held meetings with local residents of Bhumiheen Camp at Govindpuri and the allotment of flats in the same area has started," Kapoor added.

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2023

काम नहीं **रार कर रही** केजरीवाल सरकार, उपराज्यपाल ने पूछा

13 प्लाटों पर क्यों नहीं बनाया गया एक भी सरकारी स्कूल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना के बीच रार कम होने की जगह और बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच शुक्रवार को हुई बैठक के बाद विवाद कम होने की जगह और बढ़ता दिख रहा है। शनिवार को राजनिवास ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि डीडीए द्वारा आवंटित 13 प्लाटों पर केजरीवाल सरकार ने अब तक एक भी स्कूल क्यों नहीं बनाया? राजनिवास ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली सरकार के काम रोके जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार काम नहीं, बल्कि रार करना चाहती है। राजनिवास ने दावा किया कि डीडीए ने दिल्ली में आप सरकार के आने के बाद स्कूलों के लिए 13 प्लाट दिए। ये सभी बड़े प्लान थे। इन प्लाट पर 13 सरकारी स्कूल बनने थे, मगर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इनमें से एक भी प्लाट पर अब तक स्कूल नहीं बनाया है।

राजनिवास ने कहा कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुई बैठक में एलजी वीके सक्सेना ने खाली पड़े प्लाटों पर सरकारी स्कूल नहीं बनाने का मुद्दा उठाया था। एलजी यही कह रहे कि आप काम कीजिए, मगर दिल्ली सरकार काम की जगह केवल राजनीति कर रही है। अगर ये प्लाट सरकार को नहीं दिए गए हैं, तो सरकार बताए। राजनिवास के अनुसार दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि डीडीए से जमीन नहीं मिलती, जबकि जमीन मिलने पर सरकार खुद काम नहीं करती है। राजनिवास द्वारा लगाए गए आरोप पर दिल्ली सरकार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है।

वीके सक्सेना

अरविंद केजरीवाल

- शुक्रवार की बैठक के बाद एलजी व सीएम के बीच बढ़ा विवाद
- डीडीए ने आप सरकार आने के बाद से स्कूलों के लिए दिए थे प्लाट

राजनिवास से मिले दस्तावेजों के अनुसार डीडीए ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022 के बीच नए स्कूलों के निर्माण के लिए 13 प्लाट आवंटित किए हैं। इसमें एक प्राइमरी स्कूल और 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनने हैं।

डीडीए ने गीता कालोनी में 4050 वर्ग मीटर भूमि, वसंत कुंज में 8093.72 वर्ग मीटर भूमि, शाही ईदगाह के पास 1600 वर्ग मीटर भूमि, रोहिणी इंडस्ट्रियल एरिया में 4001 वर्ग मीटर भूमि, शालीमार बाग में 4500 वर्ग मीटर भूमि, रोहिणी सेक्टर-41 में 4012.54 वर्ग मीटर भूमि, रोहिणी सेक्टर-41 में 6031.08 वर्ग मीटर भूमि, रोहिणी सेक्टर-41 में 6652.83, रोहिणी सेक्टर-41 में ही 6020 वर्ग मीटर भूमि, नरेला में 2000 वर्ग मीटर भूमि, नरेला में ही 4185 वर्ग मीटर भूमि, नरेला में तीसरी जगह पर 4000 वर्ग मीटर भूमि और नरेला में चौथी जगह 4000 वर्ग मीटर भूमि नए स्कूल निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। इसमें 4 स्कूल रोहिणी सेक्टर-41 और 4 स्कूल नरेला के लिए हैं। यहां स्कूलों की कमी के चलते सबसे ज्यादा प्लाट आवंटित किए गए थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2023 दैनिक जागरण PERS----------DATED-

आप ने झुग्गियों को तोड़ने के आदेश के खिलाफ भाजपा कार्यालय पर किया प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश जारी करने के खिलाफ शनिवार को भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आप का कहना है कि भाजपा ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में झुग्गी वालों से 'जहां झुग्गी वहीं मकान' का वादा किया था, लेकिन चुनाव के तुरन्त बाद सभी झुग्गीयों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि हम दिल्ली की झुग्गियों को किसी कीमत पर टूटने नहीं देंगे।

प्रदर्शन आप विधायक आतिशी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान आप के पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बुलडोजर चलाने के नोटिस वापस लेने की मांग की है। आप का कहना है कि अगर भाजपा नोटिस वापस नहीं लेती है तो आप के कार्यकर्ता संसद तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इस दौरान पुलिस ने पानी की बौछार भी की। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली के झुग्गी वासियों से झूठा वादा किया था।

दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्तिथ भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय के सामीप प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी विधायक आतिशी से बहस करते हुए ● जागरण

झुग्गी तोड़ने का झूठ फैला रही है आप: कपूर

वि, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पर कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का आरोप लगाकर भाजपा मुख्यालय पर आप के प्रदर्शन को भाजपा ने राजनीतिक हताशा बताया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार सामने आने से विधायक आतिशी सहित अन्य आप नेता हताश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डीडीए द्वारा सार्वजनिक भूमि पर बनी हुई झुग्गियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। एक साल से कोई झुग्गी नहीं तोड़ी गई है। पिछले सप्ताह धौला कुआं में 40 वर्ष से झुग्गियों में रहने वालों को नोटिस जारी किया था। भाजपा के विरोध के बाद उसे नोटिस वापस लेना पड़ा। नगर निगम चुनाव में कालकाजी विधानसभा में पड़ने वाले तीनों वार्डों में आप को हार मिली है। सांसद रमेश बिधूड़ी से वहां के पार्षद चंद्रमोहन ने गोविंदपुरी में भूमिहीन कैंप के निवासियों के साथ पंचायत की है। उन्हें फ्लैट आवंटित किया जा रहा है।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JANUARY 14, 2023

Govt plans e-scooter sharing facility for last-mile connectivity

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To provide the first and last mile connectivity in Dwarka and connect all educational and commercial centres and residential pockets with Metro stations, Delhi government has decided to start public e-bike or e-scooter sharing system in the sub-city.

With more than 2,500 e-bikes and 250 docking stations, the public e-scooter sharing system will be the largest in the country. Delhi chief secretary Naresh Kumar said final touches are being given to the request for proposal (RFP), which will soon be placed before the Cabinet after getting approval from the transport minister.

"We will try to float the RFP by March. The project has been aimed at improving the first and last mile connectivity in Dwarka," the chief secretary said.

Dwarka is the fastest developing residential and commercial hub in the capital. Though the sub-city is connected with the rest of Delhi through a strong Metro and bus network, the government has always felt a need for a strong last mile connectivity system.

With IGI Airport in the vicinity, a large number of companies have set up their offices in Dwarka, along with a number of universities and colleges that have come up in the city in the past few years.

"We want to establish a system where commuters find a docking station within a walking distance of 100-200 metres. I am soon going to speak to the DDA vice-chairman as the bike stands and docking stations will have to be set up on the land belonging to DDA," the chief secretary said.

Officials said that the company getting the contract will have to develop a mobile application where the users will register themselves. The companies will work on the revenue it earns through rental and subscription.

The e-bike sharing system is currently working in the NDMC area, though at a smaller scale.

Interestingly, DDA tried to start an ambitious bicycle sharing project in Dwarka twice in the last five years, but failed miserably. While the first tender floated by the authority failed to attract any company to start the bike sharing system, the bidder who was awarded the contract during the second attempt refused to take up the job.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, JANUARY 15,2023 ----------DATED----------

At AAP protest outside BJP HQ, police use water cannons

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JANUARY 14

AAP LEADERS staged a protest outside the BJP headquarters Saturday demanding to withdraw alleged demolition notices issued to slums in Delhi, and said that the Delhi Police should be "ashamed of using water cannons at protesters".

The AAP has been protesting against the Delhi Development Authority (DDA) for the last few weeks alleging that the agency is issuing demolition notices to several slums and asking them to vacate the area. Alleging that the DDA has started putting up demolition notices on slums in different areas of Delhi, senior AAP leader Atishi led the protest along with MLA Somnath Bharti and party leader Adil Khan.

Atishi said, "The Delhi Police should be ashamed of using water cannons on poor residents here. First, the BJP leaders make these tall promises to the people of 'Jahan Jhuggi Wahan Makan', then when the people find out that it's a lie and raise their voice against it, the BJP-controlled Delhi Police pushes them back with water cannons in this cold weather."

At the protest on Saturday. *Prem Nath Pandey*

"I want to give the BJP this last warning. Until the DDA takes back its notice, the slum-dwellers and the workers of AAP will continue this fight from the streets to the Parliament House," she said.

A senior police officer said water cannons were used on protesters to disperse them and no one was detained. "Standard operating protocols were followed and law and order were maintained," the officer said.

Many slum dwellers participated in the protest. AAP leaders alleged that Navjeevan Camp and Nehru Camp in Kalkaji, Ghosia Colony in Mehrauli have been issued notices.

Reacting to the demonstration, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor accused the AAP and its leaders, "especially its MLA Atishi", of being "politically frustrated" after their "bad and corrupt governance was exposed over the last six months".

"Today's demonstration alleging that DDA is demolishing jhuggis is a total farce as the agency has not demolished a single jhuggi in the last year. The DDA has not issued any notice to jhuggis on public land while the PWD, under the Kejriwal government, last week issued a notice to jhuggi dwellers in Dhaula Kuan who have been there for over 40 years," Kapoor said.

"In the MCD polls AAP lost all three wards of Kalkaji Assembly constituency of Atishi... to regain lost political ground, she is making false allegations that the Centre is going back on its announcement on 'Jahan Jhuggi Wahan Makan' for Kalkaji jhuggi dwellers," he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, JANUARY 15, 2023 ATED

DDA allotted 13 plots for city schools in 8 yrs, none came up

JATIN ANAND
NEW DELHI, JANUARY 14

THE DELHI Development Authority (DDA) allotted 13 parcels of land to the Delhi government for the construction of schools in the city over the last 8 years but none have so far been utilised for the purpose, sources said, a day after Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena flagged the issue to Chief Minister Arvind Kejriwal during their meeting.

According to records accessed by *The Indian Express*, 13 plots measuring between 1,600 and over 8,000 square metres were allotted to the Delhi government's Directorate of Education by the DDA, which comes under the jurisdiction of Raj Niwas, between the year 2015 and August 2022, with as many as nine of the 13 plots having been allotted in 2022.

"The smallest among these plots, spread across 1,600 square metres, is located at the Shahi Idgah in north Delhi and the largest, measuring 8,093.72 square metres, at Vasant Kunj. All the plots were allotted for the construction of Senior Secondary Schools, none came up," a government official said.

According to records accessed by *The Indian Express*, 13 plots were allotted to the Delhi government's Directorate of Education by the DDA

The first plot was allotted on July 3, 2015 in Geeta Colony, followed by another in Vasant Kunj on October 15 that year. Two more plots were allotted over the coming years – one each at the Shahi Idgah on December 18, 2018 and in Rohini on March 3, 2021. The rest of these, located in areas such as Shalimar Bagh, Rohini and Narela, were allotted in 2022. While one plot was allotted in January 2022, two were handed over in February; six more were allotted within days of each other in the month of August, according to the data.

"The objective of allotting plots in rural areas or those in their vicinity was to ensure a boost for education there. The issue was flagged by the L-G to the Chief Minister during their meeting on Friday," the official added.

The Delhi government declined to comment on the issue.

Kejriwal and Saxena had met amid the continuing power tussle between the AAP government and Raj Niwas on Friday evening where, according to L-G House officials, the L-G had brought up the city's broken and potholed roads, no new flyover, underpass, hospital, school or college having come up in the last eight years, air pollution and the worsening condition of the Yamuna among others.

Kejriwal, however, said after the meeting: "I showed him (L-G) the orders and judgement of the Supreme Court on transferred subjects, which clearly says the L-G has not been entrusted with any independent decision-making powers. It also says that there is no independent authority vested with the L-G to take decisions other than matters where he has to act as the judicial authority. The L-G, however, said the (SC's) orders are advice."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
SPAPERS
नई दिल्ली, सोमवार, 16 जनवरी 2023

तैयारी : द्वारका में ई-स्कूटर शेयरिंग व्यवस्था शुरू होगी

■ बृजेश सिंह

नई दिल्ली। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने के लिए दिल्ली सरकार यूरोपीय व अमेरिकी शहरों की तर्ज पर दिल्ली के द्वारका उपशहर में ई-बाइक शेयरिंग व्यवस्था लागू करने जा रही है। सभी शैक्षणिक, व्यवसायिक और आवासीय क्षेत्रों को मेट्रो स्टेशनों समेत मुख्य परिवहन साधनों से जोड़ने के लिए तकनीकी आधारित बाइक शेयरिंग व्यवस्था शुरू होगी। इसके लिए 2500 से अधिक ई-बाइक के लिए द्वारका में 250 डॉकिंग स्टेशन (ई-बाइक छोड़ने व पाने वाले केंद्र) बनाएं जाएंगे।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, द्वारका में सार्वजनिक ई-बाइक या ई-स्कूटर शेयरिंग व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया गया है। देश के सबसे बड़े बाइक शेयरिंग व्यवस्था वाले प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उसके बाद परिवहन मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, सबकुछ ठीक रहा तो मार्च तक कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए निविदा भी जारी कर दी जाएगी। यह पूरा परिचालन पीपीपी मॉडल पर होगा, जिसमें सरकार को अलग से कोई बजट नहीं देना होगा।

बताते चले कि द्वारका उपशहर 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां पर 13 लाख से अधिक की आबादी रहती है। यह मेट्रो स्टेशन व बस के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा है, लेकिन पूरे द्वारका के अलग-अलग सेक्टर को

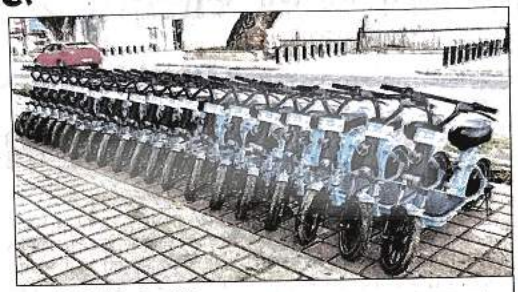

आपस में जोड़ने के लिए कोई मजबूत प्रणाली नहीं है। किसी आवासीय क्षेत्र से मेट्रो स्टेशन या फिर व्यवसायिक केंद्र तक पहुंचने के लिए कोई मतबूत परिवहन नेटवर्क नहीं है। इसलिए सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया है।

- परिवहन मंत्री से मंजूरी मिलते ही निविदा जारी होगी
- योजना यहां सफल होती है तो दिल्ली में अंतिम छोर तक इसी मॉडल को अपनाया जाएगा

12 लाख से अधिक आबादी द्वारका में रहती है

250 ई-बाइक डॉकिंग स्टेशन बनाए जाएंगे

- 100-200 मीटर पर ई-बाइक उपलब्ध कराने का प्रयास
- 2500 ई-बाइक या स्कूटर लगाएं

100-200 मीटर पर होगा ई-बाइक स्टेशन

वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, द्वारका में बेहतर कनेक्टविटी के लिए हर 100-200 मीटर तक ही यह ई-बाइक के डॉकिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जिससे घर से या शैक्षणिक केंद्र से या फिर व्यवसायिक केंद्र से निकलने के बाद उसे कुछ सौ मीटर पर ई-बाइक या स्कूटर की सुविधा मिल जाएंगे।

ऐसे आएगा राजस्व

अधिकारियों के मुताबिक, ई-बाइक या स्कूटर शेयरिंग व्यवस्था पूरी तरह से तकनीकी आधारित होगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। यात्री को इसका प्रयोग करने के लिए अपना पंजीकरण उस मोबाइल ऐप पर कराना होगा। वह प्रति किलोमीटर या प्रयोग के समय के हिसाब से किराया दे सकता है। इसके अलावा वह चाहे तो मासिक किराया के आधार पर पंजीकरण कराकर सुविधा का लाभ ले सकता है।

साइकिल शेयरिंग योजना को लेकर फेल हुआ डीडीए

द्वारका के आवासीय क्षेत्र में बेहतर कनेक्टविटी देने की यह पहली कोशिश नहीं है। पांच साल में डीडीए यहां पर महत्वाकांक्षी साइकिल शेयरिंग परियोजना को दो बार शुरू करने की कोशिश कर चुका है। पहली बार जारी निविदा में कोई कंपनी आगे नहीं आई।

दैनिक जागरण | 5
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2023

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने पर वन विभाग ने जताई आपत्ति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: वन विभाग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से कहा है कि वह केंद्र की पीएम-उदय योजना के तहत ऐसे ही अनधिकृत कालोनियों को नियमित न करें। पहले अज्ञात या संरक्षित वन क्षेत्र रिकार्ड की जांच करें और फिर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लें। दिल्ली सरकार के वन विभाग ने एक आरटीआइ के जवाब में बताया है कि उसने डीडीए को इस संदर्भ में पिछले दिनों पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे कई खसरा हैं, जो राजस्व रिकार्ड में वानिकी उद्देश्यों के लिए दर्ज हैं, लेकिन भारतीय वन अधिनियम, 1927 या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत

- डीडीए से कहा- अज्ञात वन क्षेत्र में पीएम-उदय के तहत कालोनियों को नियमित करने से पहले जांचे रिकार्ड,
- दिल्ली सरकार ने कहा, ऐसे कई खसरा हैं, जो राजस्व रिकार्ड में वानिकी उद्देश्यों के लिए दर्ज हैं

एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किए गए हैं।

इस पत्र के मुताबिक ऐसे मामलों में अनधिकृत कालोनियों के किसी भी नियमितीकरण को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के रूप में माना जाएगा। इसके साथ ही 12 दिसंबर, 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा। इसलिए ऐसे क्षेत्रों, खसरा में अनधिकृत कालोनियों के किसी भी कालोनी के नियमितीकरण की अनुमति देने से पहले डीडीए से राजस्व रिकार्ड को चेक किया जाए।

वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डीडीए ने अज्ञात वन क्षेत्रों और संरक्षित वनों में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन वन भूमि के डायवर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अभी बाकी है। वन विभाग ने डीडीए को यह भी बताया है कि डीडीए के प्रबंधन के तहत केंद्रीय भू-स्वामित्व एजेंसी ने अभी तक लगभग 1,189 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि में से 286.14 हेक्टेयर का सीमांकन नहीं किया है।

एक संरक्षित वन कुछ मात्रा में कानूनी और संवैधानिक संरक्षण वाला जंगल है। राज्य सरकार के पास ऐसे वनों के उपयोग के बारे में नियम जारी करने का मालिकाना अधिकार और शक्ति है लेकिन स्थानीय लोगों को बिना किसी गंभीर क्षति के लकड़ी इकट्ठा करने और अपने मवेशियों को चराने की अनुमति है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में डीडीए को पिछले साल जुलाई में भी लिखा था। राष्ट्रीय राजधानी में संरक्षित वनों में अनधिकृत कॉलोनियों में छतरपुर में भीम बस्ती, शांति कैंप, बीरू कैंप, संभव कैंप, बापू कैंप और संजय कालोनी-भट्टी खदान शामिल हैं। रजोकरी में केवल कृष्ण चौक पोस्ट और संगम विहार के कुछ हिस्सों में बसी झुग्गियां भी वन क्षेत्र की जमीन पर ही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली, सोमवार, 16 जनवरी 2023

हिन्दुस्तान www.livehindustan.com

अपनी दिल्ली

जाम की वजह बन रहे निगम के टोल प्लाजा

पड़ताल

दिल्ली को जोड़ने वाले प्रमुख रास्तों पर नगर निगम के टोल प्लाजा जाम का कारण बन रहे हैं। कहीं अवैध तरीके से टोल प्लाजा संचालित हैं, तो कहीं निर्धारित लेन के बाहर जाकर टोल वसूली की जा रही है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर में टोल प्लाजा लगाने की निगम के पास मंजूरी नहीं है। उसके बाद भी टोलकर्मी वाहनों को रोकते हैं, जो जाम का बड़ा कारण है।

डीएनडी स्थित एमसीडी के टोल प्लाजा पर वाहनों को रोककर वसूली करते कर्मचारी • सलमान अली

यहां वसूली की मंजूरी नहीं

गाजीपुर टोल प्लाजा (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे)

यहां निगम का प्लाजा है। निगम ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली आने वाली सर्विस रोड और एनएच 9 की डाउन लेन (एक लेन) पर टोल प्लाजा बनाने की मंजूरी ली थी। इस दौरान कहा गया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से बराबर की जमीन टोल प्लाजा के लिए आवंटित करने में समय लग रहा है। डीडीए से जमीन मिलने पर टोल प्लाजा को सर्विस रोड और एनएच की लेन से हटाकर अलग आरक्षित लेन में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एनएचएआई की मंजूरी 2019 में खत्म हो गई है और निगम ने टोल वसूली के लिए एनएच की दोनों लेन के साथ ही एक्सप्रेसवे की एक लेन भी टोल प्लाजा के लिए आरक्षित कर ली। कई बार एक्सप्रेसवे की पहली और दूसरी लेन तक टोलकर्मी व्यावसायिक वाहनों को रोकते हैं, जिससे जाम लगता है। यानी अब पूरा टोल ही बिना मंजूरी के चल रहा है।

ये हैं वसूली के नियम, किन परिस्थितियों और किस लेन में लिया जाता है टोल

- जाम न लगे, इसके लिए टोल प्लाजा मुख्य लेन से बाहर बना हो
- टोल जिन लेन में लिया जाना है, वह पूरी तरह से आरक्षित हों
- प्लाजा से 22.5 मीटर लंबा कंक्रीट का डिवाइडर बना हो
- डिवाइडर के बाद दो से तीन मीटर के संतरी रंग या चमकीले स्प्रिंग पोस्ट लगे हों
- समय बचाने के लिए वाहन चालकों से फास्टैग के माध्यम से टोल लिया जाए

बिना लेन बनाए चालकों से वसूली

दिल्ली- नोएडा (चिल्ला बॉर्डर)

इस पर इन दिनों रैपिड ट्रेन कॉरिडोर के लिए पिलर निर्माण का काम चल रहा है, जिससे जाम की समस्या बढ़ गई है, लेकिन बॉर्डर पर एमसीडी का टोल प्लाजा उससे कहीं ज्यादा जाम के लिए जिम्मेदार है। नियमों के अनुसार, टोल वसूली के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन लेन को आरक्षित किया जाना चाहिए, जिनमें वाहनों से टोल वसूली होनी है, ताकि वाहन चालकों को दूर से आभास हो जाए कि आगे टोल प्लाजा है और वो टोल लेन में आ सके, लेकिन यहां पर बिना लेन के टोल वसूली हो रही है।

फ्री लेन में जाकर वाहन रोकते हैं कर्मचारी

दिल्ली-जयपुर हाईवे टोल प्लाजा

राजधानी को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में दिल्ली-जयपुर हाईवे भी शामिल है। इस पर प्रतिदिन तीन से चार लाख वाहन (पीसीई/24 घंटे) का दबाव है। गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पर निगम के टोल प्लाजा की वजह से भीषण जाम रहता था, जिसके बाद तय किया गया कि एमसीडी व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली के लिए अलग से आरक्षित लेन बनाएगी। अन्य निजी वाहन बिना किसी बाधा निकल सकेंगे।

इस बॉर्डर पर टोल वसूली के लिए अलग से आरक्षित लेन बनाई गई है, लेकिन उसके बाद भी टोलकर्मी फ्री लेन में आते हैं, तो वहां पर उन व्यावसायिक वाहनों को रोकते हैं जो गलती से या अन्य किसी कारण से फ्री लेन में आ गए हैं। इसके बाद हाईवे पर व्यावसायिक वाहनों से टोल की वसूली की जाती है।

एमसीडी टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल वसूली के कारण रुकवाए गए वाहन। इस कारण यहां जाम की स्थिति बन जाती है।

टोल प्लाजा से आगे आकर भी रोकते हैं

डीएनडी टोल प्लाजा

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर को जोड़ने वाले डीएनडी पर भी एमसीडी की तरफ से टोल प्लाजा संचालित किया जाता है। यहां सड़क एजेंसी का टोल प्लाजा बंद हो चुका है। टोल वसूली में आसानी रहे और निजी वाहन चालक आसानी से आगे जा सके, इसके लिए व्यावसायिक वाहनों से टोल वसूली के लिए लेन निर्धारित है, लेकिन इसके बाद भी टोल एजेंसी के कर्मचारी फ्री लेन में आकर टोल वसूल रहे हैं। कई बार टोल प्लाजा से आगे भी वाहनों को रोकते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------------------ । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 16 जनवरी 2023

13 जगहों पर जमीन मिली, लेकिन सरकार ने नहीं खोले स्कूल : BJP

■ विस, नई दिल्ली

बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली सरकार पर जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त रहने का आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रविवार को एक बयान जारी करके दावा किया कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल का ढिंढोरा पीटने वाली दिल्ली सरकार ने 8 साल में एक भी नया स्कूल नहीं खोला, जबकि डीडीए 13 स्कूलों के लिए जमीन भी अलॉट कर चुका है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रविवार को एक बयान जारी कर लगाया आरोप

बच्चों के लिए स्कूल खोलने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया

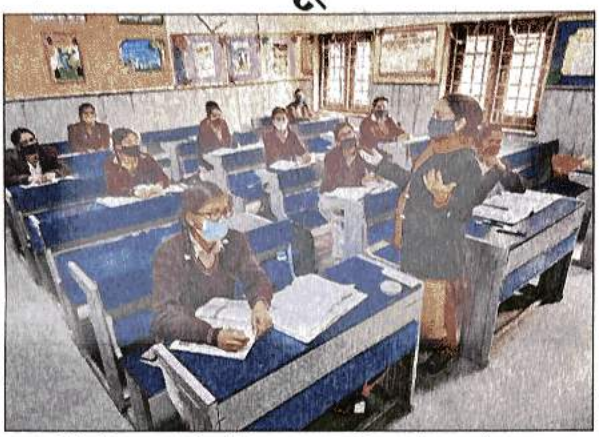

बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार अक्सर यह आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध नहीं कराती है, इसलिए वह नए स्कूल नहीं खोल पा रही है। सच्चाई यह है कि डीडीए ने 13 स्कूलों की जमीन सरकार को अलॉट कर दी है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली सरकार अभी तक एक भी जगह पर स्कूल नहीं खोल पाई। रोहिणी में 4 और नरेला में भी 4 स्कूलों के लिए जमीन शामिल हैं, जहां सरकारी स्कूलों का भारी अभाव है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का दावा किया है, लेकिन असल में बदलाव लाने और काम करने की इस सरकार की नीयत ही नहीं है। दिल्ली सरकार जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय केवल ओछी राजनीति में ही व्यस्त रहती है।

बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रचार करने के बजाय काम करने पर ध्यान देती, तो 10वीं के नतीजे गिरकर 82 फीसदी पर नहीं आते और न नैशनल ग्रेडिंग में दिल्ली की रैंकिंग गिरकर 8वें स्थान पर पहुंचती। उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण, यमुना की सफाई जैसे तमाम मुद्दों पर काम करने में दिल्ली सरकार फेल साबित हुई है।

दिल्ली की खबरों के लिए ट्विटर पर फॉलो करें
@NBTDilli

'वन विभाग की जमीन पर बनीं कच्ची कॉलोनियां नियमित न हों'

डीडीए को लिखा पत्र, रेकॉर्ड की जांच करने को कहा

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

वन विभाग ने डीडीए को साफ किया है कि वह पीएम उदय के तहत जिन अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर कर रहा है, उनके रेकॉर्ड की जांच कर ले। यदि अनधिकृत कॉलोनियां अनआइडेंटिफाइड या संरक्षित वन क्षेत्र में हैं तो इसे रेगुलर करने से पहले डीडीए को संबंधित विभाग से मंजूरी लेना जरूरी है।

कहा, डीडीए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जांच कराने के बाद ही कॉलोनियों को करे रेगुलर

एक आरटीआई में यह बात सामने आई है कि 24 नवंबर 2022 को वन विभाग ने इस संदर्भ में डीडीए को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि कुछ खसरे ऐसे हैं, जो रेवेन्यू रेकॉर्ड में वन विभाग के अधीन है और उनका इस्तेमाल जंगल के उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन इन खसरों को अभी तक फॉरेस्ट एरिया घोषित नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में यदि अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाता है तो यह वन क्षेत्र की जमीन का डायवर्जन होगा और इसका इस्तेमाल गैर वन उद्देश्य के लिए माना जाएगा। यह फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 का उल्लंघन है। इसलिए डीडीए अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने से पूर्व रेवेन्यू रेकॉर्ड में खसरा या एरिया के बारे में जानकारी ले। वन विभाग के अनुसार, डीडीए ने अनआइडेंटिफाइड फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसके लिए उसने वन विभाग से कोई मंजूरी नहीं ली है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में पीएम उदय योजना लांच की थी। इसके तहत 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जा रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- पंजाब केसरी DELHI ---------- 15 जनवरी, 2023 ▶ रविवार

डीडीए :आवंटित 13 प्लॉटों पर नहीं बन सके सरकारी स्कूल

सीएम के साथ बैठक में एलजी ने उठाया मुद्दा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली की आप सरकार व एलजी के बीच अक्सर विभिन्न मुद्दों को लेकर लंबे समय से चल रहा टकराव रोजाना किसी न किसी रूप में सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार डीडीए द्वारा आप सरकार के शिक्षा निदेशालय को नये सरकारी स्कूल बनाने के लिए विभिन्न आकार के 13 प्लॉट आवंटित किये, लेकिन इन प्लॉट पर अभी तक स्कूलों का निर्माण नहीं हो सका है। सूत्रों का यह भी कहना है कि 13 प्लॉट पर अभी तक नये स्कूल न बनाये जाने का मुद्दा शुक्रवार को एलजी व सीएम के बीच हुई साप्ताहिक बैठक में एलजी ने सीएम के सामने उठाया था। और एलजी द्वारा इस बारे में अधिकारियों से जरूरी जानकारी भी मांगी गई।

सूत्रों का कहना है कि 2015 से लेकर 2022 के दौरान विभिन्न समय अवधि पर डीडीए ने सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को 13 प्लॉट आवंटित किए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक एक भी स्कूल नहीं बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडीए ने सबसे पहले तीन जुलाई 2015 को शिक्षा निदेशालय को 4050 वर्गमीटर का प्लॉट गीता कॉलोनी में सीनियर सैकेंडरी स्कूल बनाने के लिए आवंटित किया था। इसके बाद 15 अक्टूबर 2015 को वसंतकुंज में 8093.72 वर्गमीटर का एक प्लॉट स्कूल बनाने के लिए आवंटित किया गया। इसी प्रकार 2018 व 2021 में भी कई प्लॉट दिल्ली सरकार को स्कूल बनाने के लिए दिये गये। 2022 में 29 अगस्त को 4000 वर्गमीटर के दो प्लॉट नरेला में डीडीए द्वारा आंवटित किये गये लेकिन उक्त किसी भी प्लॉट पर अभी तक सरकारी स्कूलों का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं जब इस मुददे पर दिल्ली सरकार से प्रतिक्रिया मांगी गई तो खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका।

डीडीए ने एक साल में कोई झुग्गी नहीं गिराई : भाजपा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की आम आदमी पार्टी के नेता खासकर इसकी विधायक आतिशी पिछले 6 महीनों में केजरीवाल सरकार के खराब और भ्रष्ट शासन पर खुलासों से राजनीतिक रूप से हताश हैं और इसलिए गैर-मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा मुख्यालय पर आज का प्रदर्शन यह आरोप लगाते हुए किया गया कि डीडीए झुग्गियों को तोड़ रहा है, पूरी तरह से झूठा तमाशा है क्योंकि डीडीए ने पिछले एक साल में एक भी झुग्गी नहीं गिराई है। डीडीए ने सार्वजनिक भूमि पर झुग्गियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया है जबकि केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी ने पिछले हफ्ते धौला कुआं के झुग्गी निवासियों को जो 40 साल से अधिक समय से वहां बसे थे को झुग्गी तोड़ने का नोटिस जारी किया था और भाजपा द्वारा मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाने के बाद उन्हें नोटिस वापस लेना पड़ा।

पूर्वी दिल्ली के 17 जगहों पर सीएनडी वेस्ट होगा डंप

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने सीएनडी वेस्ट को डंप करने के लिए जगह चिह्नित किया है। पूर्वी दिल्ली के करीब 17 जगहों पर सीएनडी वेस्ट को डंप किया जाएगा। यहां पर स्थानीय लोग मलबे व सीएनडी वेस्ट को डंप कर सकेंगे। इसमें दिलशाद गार्डन, रेड कॉर्नर अस्पताल से सटे आई पॉकेट मार्केट के सामने, पीडब्ल्यूडी रोड, सीलमपुर डीडीए की जमीन पेट्रोल पंप के पास, उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के सामने, गौतम पुरी डीडीए की जमीन, शास्त्री पार्क, डी-एक्वा होटल के पास, यमुना विहार नजदीक जेई स्टोर, बी-4 ब्लॉक आदि स्थान सीएनडी वेस्ट डंप करने हेतु चिन्हित किए गए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- पंजाब केसरी ---------- 15 जनवरी, 2023 ▶ रविवार ----------

एक हजार से अधिक अवैध निर्माण पर चस्पा किए खाली करने के नोटिस

तुगलकाबाद किला: अतिक्रमण हटाने के लिए 15 दिन का समय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी के तुगलकाबाद किला के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई को तेज किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षित क्षेत्र में बने अवैध घरों को हटाया जाएगा। एएसआई इसे लेकर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) समेत विभिन्न एंजेसियों के साथ यह कार्रवाई करेगी। इस अभियान के जरिए एक हजार से अधिक अवैध घरों के बाहर घर खाली करने का नोटिस चस्पा किए हैं। जिसमें इन लोगों से 15 दिन के भीतर घर खाली करने का आदेश दिया है। एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यह कार्रवाई अलग-अलग स्तर पर की जाएगी। पहले स्तर पर बंगाली कॉलोनी पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 24 नवंबर को अतिक्रमण हटाने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को अंतिम निवेदन के रूप में छह सप्ताह का समय दिए जाने के बाद आई है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को सूचीबद्ध किया है। एएसआई अधिकारियों के अनुसार अगर अतिक्रमणकारियों ने उन्हें जारी 15 दिनों की समय सीमा का पालन नहीं किया, तो महीने के अंत तक इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा। लोगों के घरों पर चिपकाए नोटिस में कहा गया है कि तुगलकाबाद किला क्षेत्र के अंदर के मकानों के कब्जेदार व अतिक्रमणकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर सभी अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों को अपने खर्चे से हटा दें। ऐसा न करने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विध्वंस और बेदखली शामिल है। इस कार्रवाई की लागत भी उनसे ही वसूली जाएगी। एएसआई के दिल्ली सर्किल के सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण सिंह ने बताया कि यह मामला सन 1995 का है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भूमि और विकास कार्यालय द्वारा देखभाल और रखरखाव के उद्देश्य से 2,661 बीघा का क्षेत्र एएसआई को सौंप दिया गया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र पर अवैध रूप से लोगों का कब्जा है। अब तक अतिक्रमणकारियों के घरों की दीवारों पर 1000 से ज्यादा नोटिस चिपकाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, 'हमने गुरुवार को पुलिस और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के सहयोग से यह अभियान शुरू किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA 15 जनवरी • 2023 | राष्ट्रीय सहारा ATED----------

निगम ने पूर्वी दिल्ली में वेस्ट डंप करने के लिए 17 स्थानों को किया चिह्नित

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

दिल्ली नगर निगम द्वारा वायु प्रदूषण को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में सी एंड डी वेस्ट को डंप करने के लिए 17 स्थानों को चिह्नित किया है, जहां पर स्थानीय लोग मलबे/सी एंड डी वेस्ट को डंप कर सकते हैं।

दिलशाद गार्डन-रेड कॉर्नर अस्पताल से सटे आई पॉकेट मार्केट के सामने, पीडब्ल्यूडी रोड, सीलमपुर-डीडीए की जमीन पेट्रोल पंप के पास, उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के सामने, गौतम पुरी-डीडीए की जमीन, शास्त्री पार्क, डी-एक्वा होटल के पास, यमुना विहार-नजदीक जेई स्टोर, बी-4 ब्लॉक, ब्रमिपुरी-एक्स ब्लॉक के पास ब्रमिपुरी, कर्दमपुरी-अम्बेडकर कॉलेज के पास, कार पार्किंग, शिव विहार-चेस्ट क्लीनिक के पास खुली जगह, एम एंड सीडब्ल्यू सेंटर, करावल नगर, श्रीराम कॉलोनी-पुराने पुलिस स्टेशन के पास, श्रीराम कॉलोनी के पास खुली जगह आदि स्थान सी एंड डी वेस्ट डंप करने के लिए चिह्नित किए गए हैं। सी एंड डी वेस्ट को डंप करने के 17 स्थानों की सूची दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

■ 17 स्थानों की सूची दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध

■ निगम का पूर्वी दिल्ली के निवासियों से अनुरोध, निर्धारित/चिह्नित स्थलों पर सी एंड डी वेस्ट को डंप करें

इसके अलावा सी एंड डी वेस्ट के सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी निपटान के लिए भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करने वाले सभी मालिक एवं बिल्डर इस तरह के निर्माण पुनर्निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले निर्माण और विध्वंस कचरे का शास्त्री पार्क में सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में अनिवार्य रूप से निपटान करवाएं।

दिल्ली नगर निगम द्वारा पूर्वी दिल्ली के निवासियों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित/चिह्नित स्थलों पर सी एंड डी वेस्ट को डंप करें। साथ ही आरडब्ल्यूए के सभी अध्यक्षों, एमटीए से अनुरोध है कि क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों को अपने मलबा (सी एंड डी अपशिष्ट, अपशिष्ट फर्नीचर आइटम, टूटे शीशे और अन्य अपशिष्ट सामग्री/कचरा) को चिह्नित निकटतम साइट पर डंप करने के लिए प्रेरित करें। डीएमसी अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों, डलावों और नालों आदि पर मलबा डालना प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली, रविवार, 15 जनवरी, 2023

एमसीडी ने सी एंड डी वेस्ट डंप करने हेतु 17 स्थानों को चिन्हित किया

नई दिल्ली | दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा वायु प्रदूषण को देखते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में सी एंड डी वेस्ट को डंप करने हेतु 17 स्थानों को चिन्हित किया है। जहां पर स्थानीय लोग सी एंड डी वेस्ट को डंप कर सकते हैं। दिलशाद गार्डन रेड कॉर्नर अस्पताल से सटे आई पॉकेट मार्केट के सामने, पीडब्ल्यूडी रोड, सीलमपुर डीडीए की जमीन पेट्रोल पंप के पास, उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के सामने, गौतम पुरी. डीडीए की जमीन, शास्त्री पार्क, डी.-एक्वा होटल के पास, यमुना विहार नजदीक जेई स्टोर, बी-4 ब्लॉक, ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक के पास ब्रह्मपुरी, कर्दमपुरी अम्बेडकर कॉलेज के पास, कार पार्किंग, शिव विहार चेस्ट क्लिनिक के पास खुली जगह, एम एंड सीडब्ल्यू सेंटर, करावल नगर, श्री राम कॉलोनी के पास खुली जगह आदि स्थान सी एंड डी वेस्ट डंप करने हेतु चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा सी एंड डी वेस्ट के सुरक्षित एवं पर्यावरण हितैषी निपटान के लिए भवनों का निर्माण तथा पुनर्निर्माण करने वाले सभी मालिक एवं बिल्डर इस तरह के निर्माण पुनर्निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले निर्माण और विध्वंस कचरे का शास्त्री पार्क में सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में अनिवार्य रूप से निपटान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार के खुलासों से बौखलाई हैं आतिशी : कपूर

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के हर रोज हो रहे खुलासे से बौखलाए पार्टी नेता ऊल-जुलूल बयान दे रहे हैं। प्रवक्ता के मुताबिक केजरीवाल की विधायक आतिशी आधारहीन बातों को को मुद्दा बनाने में लगी हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कम से कम एक साल में एक भी झुग्गी नहीं गिराई है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के बयान पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। डीडीए की तरफ से किसी भी झुग्गी बस्ती को कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। उन्होंने खुलासा किया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने पिछले सप्ताह धौला कुआं के पास की झुग्गी बस्ती के लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन भाजपा के दबाव में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने वह नोटिस वापस ले लिया। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कालकाजी विधानसभा के तीन वार्ड गवांने के बाद आतिशी राजनीतिक रूप से बौखलाई हुई हैं और झूठा प्रचार करने में लगी हैं। भाजपा के स्थानीय विधायक रमेश बिधूड़ी एवं पार्षद चंद्र मोहन के प्रयास से कालकाजी के झुग्गी बस्ती के लोगों को फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS---------रविवार, 15 जनवरी 2023---------DATED----------

डीडीए ने दिया झुग्गियां तोड़ने का नोटिस विरोध में आप का भाजपा दफ्तर पर प्रदर्शन

दी चेतावनी, आप का एक-एक कार्यकर्ता भाजपा की मंशा को नहीं होने देगा कामयाब

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश जारी कराने के आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के हाथों में भाजपा व डीडीए के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियां थी। इसकी अगुवाई आप विधायक आतिशी ने की। विधायक सोमनाथ भारती व वरिष्ठ नेता आदिल अहमद भी मौजूद थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर काफिले को रोक लिया।

आप कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। करीब दो घंटे तक दोनों तरफ से जोर आजमाइश चलती रही। पुलिस बार-बार बैरिकेड लांघने की कोशिश करती आप कार्यकर्ताओं की भीड़ को वापस लौटाया। इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन से पानी की बौछार तक करनी पड़ी। वहीं, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए। सभी को बाद में छोड़ दिया गया। बाद में करीब दो बजे प्रदर्शनकारी वापस लौटे।

पार्टी का कहना था कि एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा ने झुग्गीवासियों से 'जहां झुग्गी वहां मकान' का वादा किया था। चुनाव बीतते ही केंद्र शासित भाजपा के अधीन काम कर रहा डीडीए अलग-अलग इलाकों की झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस लगाना शुरू कर दिया है।

भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करते आप कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें करती पुलिस। कई को हिरासत में भी लिया गया। अमर उजाला

सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते रहेंगे : आप

आप का आरोप था कि वजीरपुर में झुग्गीवालों के लिए दिल्ली सरकार ने शौचालय बनवाए थे, लेकिन भाजपा ने उनपर भी बुलडोजर चलवा दिया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर भाजपा नोटिस वापस नहीं लेती है तो आप के कार्यकर्ता और दिल्ली के सभी झुग्गी वासी सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे।

किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे : आतिशी

आतिशी ने कहा कि भाजपा शासित डीडीए ने कालकाजी के नवजीवन कैंप, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद, छतरपुर आदि झुग्गी बस्तियों में नोटिस लगा दिया है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। आतिशी के मुताबिक, वजीरपुर में बड़ी-बड़ी झुग्गियां हैं। वहां के शौचालयों पर बुलडोजर चला दिया गया।

कहा-लोगों को बुलडोजर की चेतावनी दी जा रही

- *आतिशी ने वादा किया जब तक दिल्ली के झुग्गी वासियों को मकान नहीं मिल जाता तब तक आप का एक-एक सिपाही किसी भी झुग्गी पर बुलडोजर नहीं चलने देगा। दिल्ली के झुग्गी वालों की लड़ाई आखरी सांस तक लड़ी जाएगी।*

दस-दस साल की बच्चियों को गिरफ्तार करने की कोशिश : भारती

- वहीं, सोमनाथ भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही है। दस-दस साल की बच्चियों को इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- रविवार, 15 जनवरी 2023 amarujala.com ----DATED----

तुगलकाबाद किले की 1500 बीघा जमीन खाली करने का नोटिस

हाईकोर्ट के आदेश से एएसआई ने 1200 घरों पर चस्पा किए नोटिस, चलेगा बुलडोजर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। तुगलकाबाद किले की करीब 1500 बीघा जमीन पर सालों से अवैध कब्जा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कब्जाधारियों को 15 दिन के भीतर जगह खाली करने का नोटिस दिया है। पिछले दो दिन के भीतर किले की जमीन पर बनाए गए करीब 1200 घरों पर नोटिस चसपा किए गए हैं। इसी माह के अंत तक घर तोड़ने का काम शुरू किया जाएगा।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1195 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से तुगलकाबाद किले की 2661 बीघा जमीन रखरखाव के लिए दी गई थी। लेकिन पिछले 25 साल में इस जमीन के 50 फीसदी से अधिक हिस्से को अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया। एएसआई के पुरातत्वविद अधीक्षक प्रवीण सिंह ने बताया कि 2001 में किले की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए जाने की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। कई सालों तक यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।

किले की 50 फीसदी से अधिक जमीन पर 25 साल से कब्जा

लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसपर संज्ञान लिया और मामले को दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेज दिया और इसकी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 नवम्बर 2023 कों इसपर फैसला किया और छह महीन के भीतर किले की जगह को अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से वापस लेने का निर्देश दिया। अब एएसआई ने 12-13 जनवरी को डीडीए, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान चलाकर करीब 1200 घरों पर नोटिस चस्पा किए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार किले की जमीन पर बने इन सभी घरों से सामान इत्यादि निकालने के लिए लोगों को 15 दिन का समय दिया गया है।

मेहरौली-बदरपुर रोड पर करीब छह किलोमीटर में तुगलकाबाद किला फैला है। किले की पिछली दीवार से सटा तुगलकाबाद गांव है, जो आजादी के पहले का है। इस गांव का दायरा इसके बसने के समय की तुलना में कई-गुना बढ़ गया है।

गांव के लोगों का कहना है कि वह लाल डोरे के भीतर ही बसे हैं। वहीं एएसआई के अधिकारियों का कहना है कि सालों से बढ़ते बढ़ते स्थानीय लोगों ने किले की आधे से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा लिया।

संवारा जा रहा 800 साल पुराना किला

तुगलकाबाद किला करीब 800 साल पुराना दिल्ली का तीसरा सबसे पुराना किला है। इस किले को गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1325 के बीच बनवाया था। तीन साल पहले तक यह किला खंडहर और पत्थरों का ढेर था। लेकिन एएसआई ने इसे फिर से संवारने का काम शुरू किया है। इसके तहत यहां पर सौंदर्यीकारण किया जा रहा है। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज विजय मंडल के चारों तरफ रेलिंग लगाई गई है। यहां से पूरा किला, गयासुद्दीन का मकबरा, तुगलकाबाद गांव और आस पास के इलाकों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके भीतर बैठने के लिए प्लेटफार्म लगाए गए हैं। बुर्ज और यहां की एक पुरानी बावली तक जाने के लिए पाथ बनाए गए हैं। बाकी हिस्से को भी संवारने का काम किया जा रहा है।

निर्माण एवं विध्वंस सामग्री डालने के लिए 17 स्थान चिह्नित

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने सी एंड डी वेस्ट(निर्माण एवं विध्वंस सामग्री) डंप करने के लिए पूर्वी दिल्ली में 17 स्थान चिन्हित किए हैं। जहां पर स्थानीय लोग अपना मलबा डंप कर सकते हैं। एमसीडी इन सभी स्थानों से मलबे को उठाकर शास्त्री पार्क स्थित सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में लेकर जाएगी, जहां इसका उचित तरीके से निपटान किया जाएगा। लोग शास्त्री पार्क संयंत्र में भी मलबे को लेकर जा सकते हैं।

शास्त्री पार्क स्थित सीएंडडी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में सीधा ले जा सकते हैं मलबा

एमसीडी ने दिलशाद गार्डन में रेड कॉर्नर अस्पताल से सटे आई पॉकेट मार्केट के सामने, सीलमपुर पीडब्ल्यूडी रोड से सटे डीडीए की जमीन पर पेट्रोल पंप के पास, उस्मानपुर पुलिस स्टेशन के सामने, गौतम पुरी में डीडीए की जमीन पर, शास्त्री पार्क में डी-एक्वा होटल के पास, यमुना विहार में जेई स्टोर के पास, ब्रह्मपुरी बी 4 ब्लॉक में, ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक के पास, कर्दमपुरी में अंबेडकर कॉलेज के पास, शिव विहार कार पार्किंग में, चेस्ट क्लिनिक के पास खुली जगह में, करावल नगर एम एंड सीडब्ल्यू सेंटर के पास, श्रीराम कॉलोनी में पुराने पुलिस स्टेशन के पास, श्री राम कॉलोनी के पास खुली जगह इत्यादि स्थानों पर सी एंड डी वेस्ट डंप करने के लिए नई जगह चिन्हित की है। सी एंड डी वेस्ट को डंप करने के लिए चिन्हित सभी 17 स्थानों की लिस्ट दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

तय जगहों पर ही मलबा डंप करने की अपील

दिल्ली नगर निगम ने सभी भवन मालिकों और बिल्डरों को अपने निर्माण व विध्वंस कचरे को शास्त्री पार्क में स्थित सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में अनिवार्य रूप से निपटान कराने की अपील की है। सभी नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि वह निर्धारित स्थलों पर ही सी एंड डी वेस्ट को डंप करें। साथ ही आरडब्ल्यूए के सभी अध्यक्षों, एमटीए से अनुरोध किया है कि वह क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नागरिकों को सी एंड डी अपशिष्ट, अपशिष्ट फर्नीचर आइटम, टूटे शीशे और अन्य अपशिष्ट सामग्री को चिन्हित निकटतम साइट पर डंप करने के लिए प्रेरित करें। डीएमसी अधिनियम के तहत सार्वजनिक सड़कों, ढलावों और नालों आदि पर मलबा डालना प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर | नई दिल्ली, सोमवार 16 जनवरी, 2023 ----------DATED----------

भास्कर एक्सक्लूसिव • दिल्ली की 1 लाख करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीनें भू माफिया के निशाने पर

सीपी ने दिए भूमाफियाओं के विरुद्ध स्पेशल कमिश्नर और विजिलेंस को जांच के आदेश

नंदनगरी में 1500 वर्ग मीटर के पार्क पर कब्जा कर मस्जिद बना कर कमर्शियल उपयोग

शेखर घोष | नई दिल्ली

भूमाफियाओं की नजर दिल्ली की एक लाख करोड़ रुपए से भी अधिक कीमत की डीडीए, डूसिब, ग्राम सभा, दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी जैसे सरकारी एजेंसियों के बेशकीमती जमीनों पर है। मंदिर, मस्जिद,पीर बाबा जैसे धार्मिक स्थलों के आड़ सहित सरकारी जमीनों को राजस्व विभाग के डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी अपने फायदों के लिए ग्राम सभा की जमीन को कानूनी तरीके से भूमाफियाओं के पक्ष में कर देते हैं। उत्तर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल विनय सक्सेना और दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखकर अवैध कब्जा करने वालों की शिकायत कर कार्रवाई कर जमीन बचाने की मांग की थी। त्रिवेदी के शिकायत पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भूमाफियाओं के विरूद्ध स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी विजिलेंस को जांच का आदेश दिया है।

सबसे अधिक धार्मिक स्थल के आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जा

आनंद त्रिवेदी ने कहा है कि भूमाफिया सबसे अधिक धार्मिक स्थल के आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। त्रिवेदी ने बताया कि अकेले पश्चिम दिल्ली के बबाना में ही डूसिब के 17 पार्कों पर कब्जा कर अकेले मस्जिद बना दिया है। इन में से कई जमीनों पर कमर्शियल उपयोग कर रहें हैं। इसके अतिरिक्त नंदनगरी में 1500 वर्ग मीटर के पार्क पर कब्जा कर मस्जिद बना कर कमर्शियल उपयोग कर रहें हैं। ऐसे ही दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दक्षिणी, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी जिला सहित पूरी दिल्ली में भू माफिया सरकारी विभागों के जमीन पर कब्जा कर बिल्डिंग बनाकर कमर्शियल उपयोग कर रहें हैं।

अवैध कब्जे के अपराध को संगठित अपराध की श्रेणी में रखने की मांग

पीएम और गृह मंत्री को लिखे पत्र में त्रिवेदी ने मांग किया है कि प्रशासनिक अधिकारी और भू माफिया के गठजोड़ के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के अपराध को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाए। त्रिवेदी ने लिखे पत्र में दावा किया है कि लगभग एक लाख करोड़ की सरकारी जमीनों पर या तो भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है या फिर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा करने की कोशिश चल रही है। त्रिवेदी ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफिया एक लाख करोड़ की जमीनों पर अवैध रूप से काबिज होकर जहां सरकारी खजाना खाली कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी इस गठजोड़ में पुरी तरह से शामिल है।

जमीन के आभाव में दम तोड़ रही है योजनाएं, खड़ी हो रहीं है बहुमंजली इमारत

दिल्ली में जन सुविधाएं और कई विकास कार्य अपनी बारी की बाट जोह रहे हैं। कई योजनाएं जमीन की तलाश में फाइलों में ही दम तोड़ रही हैं तो भू माफिया का यह गैरकानूनी कारोबार खूब फल फूल रहा है। सरकारी जमीनों को बचाने की जिन एजेंसी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है वह अपना कर्तव्य निर्वहन करने के बजाय भूमाफिया के साथ सांठ-गांठ कर अपनी जेबें भर रहे हैं। हाल ही में करावल नगर की एक सरकारी जमीन पर अधिकारियों और भू माफिया के एक गठजोड़ का उदाहरण सामने आया है। नंदनगरी में स्कूल के जमीन पर भूममाफिया कब्जा करने का प्रयास किया था। वहां डिप्टी सीएम सिसोदिया ने स्कूल के निर्माण का शिलन्यास किया है। वही वजीराबाद रोड मीत नगर के पास भू माफिया ने सौं करोड़ से अधिक का जमीन कब्जा कर आम लोगों को बेच दी और जब बहु मंजिले मकान खड़े हो गए तब डीडीए को अपनी ही जमीन खाली कराने की सुध आई और अब बहुमंजिला मकान तोड़ने में उन्हें पसीने आ रहे हैं।

amarujala.com
सोमवार, 16 जनवरी 2023

केजरीवाल सरकार केवल ओछी राजनीति में जुटी है: बिधूड़ी

नई दिल्ली। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय सिर्फ राजनीति करने का आरोप मढ़ा है। कहा है कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार ने आठ साल में एक भी स्कूल नहीं खोला जबकि केंद्र सरकार ने 13 स्कूलों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी थी। बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार अक्सर यह आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार दिल्ली में जमीन उपलब्ध नहीं कराती, इसीलिए वह स्कूल नहीं खोल पा रही जबकि सच्चाई यह है कि डीडीए ने 13 स्कूलों की जमीन दिल्ली सरकार को अलॉट कर दी लेकिन दिल्ली सरकार एक भी स्कूल नहीं खोल पाई। इनमें से रोहिणी में 4 और नरेला में 4 स्कूलों की जमीन भी शामिल है जहां सरकारी स्कूलों का बहुत ज्यादा अभाव है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते है कि राजधानी में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी ▸ 16 जनवरी, 2023 ▸ सोमवार ----------DATED----------

तुगलकाबाद किला: अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन

- प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी बसों के शीशे तोड़े

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी के तुगलकाबाद किला के इलाके में अतिक्रमण के हटाने क लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने लोगों को घर खाली करने को आदेश दिए हैं। एएसआई के संरक्षित क्षेत्र में बने अवैध घरों को हटाया जाएगा।

इसे लेकर एएसआई, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) समेत विभिन्न एंजेसियों के साथ यह कार्रवाई करेगी। इस अभियान के जरिए एक हजार से अधिक अवैध घरों के बाहर घर खाली करने का नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस के विरोध में एमबी रोड पर तुगलकाबाद गांव की लाल बत्ती पर स्थानीय झुग्गीवासियों ने रविवार को विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने कई डीटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए और एमबी रोड को जाम कर दिया। इसके चलते करीब आधे घंटे तक एमबी रोड पर भयंकर जाम से लोगों को जूझना पड़ा। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने पहुंच कर मोर्चा संभाला। सत्रों का कहना है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव भी किया जिससे दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल के कुछ जवान घायल भी हुए।

बता दें कि तुगलकाबाद किला इलाके में अतिक्रमणकारी झुग्गीवासियों को 11 जनवरी को आर्कियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआइ) द्वारा 15 दिन के अंदर किला इलाके से अतिक्रमण खाली करने का आदेश दिया गया है। इससे वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और इलाके में किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल की कुछ टुकड़ियों को स्थाई रूप से भी तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारी शोएब ने कहा कि वह कई वर्षों से यहां रह रहे हैं ऐसें में अवैध घोषित करके वह लोग कहां जाएंगे। वह कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वह यहां से घर खाली नहीं करेंगे।

'दिल्ली सरकार ने आठ साल में एक भी स्कूल नहीं खोला'

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय सिर्फ राजनीति करने में ही व्यस्त रहती है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल का ढिंढोरा पीटने वाली इस सरकार ने आठ साल में एक भी स्कूल नहीं खोला, जबकि केंद्र सरकार ने 13 स्कूलों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी थी। दिल्ली सरकार अक्सर यह आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार दिल्ली में जमीन उपलब्ध नहीं कराती, इसीलिए वह स्कूल नहीं खोल पा रही जबकि सच्चाई यह है कि डीडीए ने 13 स्कूलों की जमीन दिल्ली सरकार को अलॉट कर दी, लेकिन दिल्ली सरकार एक भी स्कूल नहीं खोल पाई। इनमें से रोहिणी में 4 और नरेला में 4 स्कूलों की जमीन भी शामिल है, जहां सरकारी स्कूलों का बहुत ज्यादा अभाव है। दिल्ली सरकार यह दावा करती है कि उसने राजधानी में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है, लेकिन उसे काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि सच्चाई यह है कि उसकी काम करने की नीयत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा पर ध्यान देती तो फिर दसवीं क्लास के नतीजे गिरकर 82 फीसदी पर न आते और न ही नेशनल ग्रेडिंग में दिल्ली आठवें स्थान पर लुढ़कती।

रामवीर सिंह बिधूड़ी

शिक्षा के अलावा आयुष्मान भारत योजना लगभग पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली सरकार ने विधानसभा में घोषणा करके भी उसे लागू नहीं किया। दिल्ली सरकार ई-वाहनों को प्राथमिकता देने का दावा करती है, जबकि चार साल पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली को 100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई थीं, लेकिन दिल्ली सरकार ने वे बसें ली ही नहीं।

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली

डीडीए से 13 स्कूलों की जमीन मिली, दिल्ली सरकार ने नहीं खोला एक भी स्कूल: बिधूड़ी

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय सिर्फ राजनीति करने में ही व्यस्त रहती है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल का ढिंढोरा पीटने वाली इस सरकार ने आठ साल में एक भी स्कूल नहीं खोला जबकि केंद्र सरकार ने 13 स्कूलों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दी थी। बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार अक्सर यह आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार दिल्ली में जमीन उपलब्ध नहीं कराती, इसीलिए वह स्कूल नहीं खोल पा रही जबकि सच्चाई यह है कि डीडीए ने 13 स्कूलों की जमीन दिल्ली सरकार को अलॉट कर दी लेकिन दिल्ली सरकार एक भी स्कूल नहीं खोल पाई। इनमें से रोहिणी में 4 और नरेला में 4 स्कूलों की जमीन भी शामिल है जहां सरकारी स्कूलों का बहुत ज्यादा अभाव है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
| MONDAY | JANUARY 16, 2023
DATED

Kejriwal Govt has not opened single new school in past 8 years, says LoP Bidhuri

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Delhi BJP on Sunday slammed the AAP saying that the Kejriwal Government which flaunts its world-class education model has not opened a single new school in the past eight years despite the land being allotted to build 13 new schools by the center.

Leader of Opposition in Delhi Assembly Ramvir Singh Bidhuri alleged that the AAP-led Delhi government is only busy in doing politics, instead of providing facilities to the people of the national capital.

"Kejriwal Government always blames the central government for their own shortcomings including their failure to open new schools in the city in the last eight years. They claim that the land was not provided to them to open new schools but the truth is the central government-led Delhi Development Authority (DDA) has allotted land to the city government for opening 13 new schools in the capital," Bidhuri stated.

Informing about the locations in the city in which the land was being facilitated to the Delhi government for opening 13 new schools, Bidhuri said, "The land for building four schools was provided in Rohini and Narela respectively, where there is the shortage of education facilities for the people living in the area." The LoP said that the Kejriwal Government only flaunts its education model but the ground reality is far opposite as they have no intention of working and providing the basic facilities to the people. "If the AAP government had actually focused on education instead of just promoting it, then the class 10 results would not have come down to 82 percent and Delhi would not have slipped to the eighth position in the national grading," Bidhuri claimed.

"The education sector is not the only sector that has been suffering from the petty politics of the Kejriwal government but there are a lot of projects that are halted in the city including the Ayushman Bharat Yojana which is not implemented in the city, 100 electric buses provided by the central government four years ago are not plying on the roads of the capital because of them (AAP)," Bidhuri underlined.

"Apart from this, the Yamuna is still not cleaned despite the Rs 2400 crore that has been sanctioned by the center for this project," Bidhuri added.

sunday pioneer
| | SUNDAY | JANUARY 15, 2023

AAP protests at BJP office over 'slums demolition order'

AAP leaders politically frustrated, says BJP

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Aam Aadmi Party workers on Saturday staged a protest outside the Delhi BJP office, days after the city Government directed its Public Works Department to immediately withdraw an order to demolish slums located near Dhaula Kuan. Police used water cannons to disperse the protesters.

Reacting to the protest, the BJP alleged the AAP leaders were "politically frustrated" after the "corrupt governance of the Arvind Kejriwal dispensation" was exposed and that the party was making an issue out of nothing.

The PWD had on December 29 issued a notice asking slum dwellers in the Dhaula Kuan area to vacate the land within 15 days.

AAP MLA Atishi said that before the MCD elections, BJP had promised 'Jahan Jhuggi Wahan Makaan' to the slum dwellers of Delhi, not even a month passed since the elections and BJP's lies have been exposed. "BJP-ruled DDA has started putting up demolition notices on slums in different areas of Delhi. If BJP does not withdraw this notice, AAP workers and all slum dwellers of Delhi will continue this agitation," she said.

AAP MLA Somnath Bharti asserted that his party won't let anybody's house get demolished. "What is wrong with the BJP? Why are they acting against the people of Delhi?" "BJP's Delhi Police not only showered water on the slum dwellers in the bitter cold for raising their voice, but also tried to arrest ten-year-old girls," he said.

AAP leader Aadil Ahmad said the party's agitation against the demolition order will be taken to the streets near Parliament as well. "It was in the BJP's manifesto that all slum dwellers will be given a house at the same place where slums are. But now, they are sending notices to demolish slums," he said. The Delhi government, in its notice directing the PWD to withdraw the demolition order, said it was "inhuman" to do so at the peak of winter and without making an alternate arrangement for the residents.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, had earlier this week tweeted, "PWD officials have been ordered to immediately withdraw the order to demolish slums located near Dhaula Kuan."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
16 JANUARY, 2023 | NEW DELHI PAPERS----------DATED----------

FOREST DEPARTMENT TO DDA

'Cross-check records, get nod before regularising colonies'

NEW DELHI: The forest department has asked the Delhi Development Authority (DDA) to cross-check records and not to regularise unauthorised colonies under the Centre's PM-UDAY scheme in unidentified or protected forests without approval from a competent authority.

The Delhi forest department in a letter, which PTI accessed through an RTI application, told the DDA on November 24 that "there are khasras which are recorded against the forest department in revenue records for forestry purposes but are yet to be declared as forest area under the Indian Forest Act, 1927, or a protected area under the Wildlife Protection Act, 1972".

"In such cases, any regularisation of unauthorised colonies will be regarded as diversion of forest land for non-forestry purposes and will be a violation of the Forest Conservation Act, 1980, as per the order of the Supreme Court dated December 12, 1996, in the T N Godavarman case.

"Hence, revenue records are to be cross-checked by the DDA before any regularization of unauthorized colonies is allowed in such areas/khasras," it said.

While the DDA has started the process of regularising unauthorised colonies in unidentified forest areas and protected forests, it is yet to seek approval of competent authority for the diversion of forest land, a forest department official told PTI.

There has been no response from the DDA to PTI's messages and calls for a reaction.

The Central government launched the Prime Minister-Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY) in December 2019 to give ownership rights to the residents of 1,731 unauthorised colonies in the national capital after Parliament passed the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Act, 2019.

The objective of the rehabilitation project is to provide a better and healthy living environment to the residents of slums.

According to the RTI reply, the Delhi forest department also told the DDA that the central land-owning agency is yet to demarcate 286.14 hectares of the around 1,189 hectares of protected forest land under DDA's management.

A protected forest is a forest with some amount of legal and constitutional protection. The state government has proprietary rights and the power to issue rules about the use of such forests, but local people are allowed to collect wood and graze their cattle without causing any serious damage.

"Some of the unauthorised colonies may fall in these unidentified protected forests. The DDA should ensure that there is no regularisation of unauthorised colonies falling in unidentified protected forests in violation of the Forest Conservation Act, 1980, because of the lack of demarcation on the ground," the letter dated November 24 read.

"There may be unauthorised colonies which might have come over land having the status of deemed forest or ridge, which are protected by various orders of the Hon'ble Supreme Court. Hence, the DDA should do necessary due diligence to avoid such areas during the regularisation or seek approval of competent authority such as Ridge Management Board, the Supreme Court and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change," it said.

Forest department officials said they had written to the DDA in this regard in July last year also.

Some of the unauthorised colonies in the protected forests in the national capital include Bhim Basti, Shanti Camp, Biru Camp, Sambhav Camp, Bapu Camp and Sanjay Colony-Bhatti Mines in Chattarpur; jhuggies at Kewal Krishan Chowk Post in Rajokari and some parts of Sangam Vihar. "Analysis of all the above cases reveals that the permission of competent authority is required before diverting any land by way of granting ownership in the area which is non-forestry purposes," the forest department wrote to the DDA. PTI